# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

प्रार्थना पत्र संख्याः 02/2013 डी.पी.एक्ट पिटीशन/विविध
GCMS No. 2013/00044

1. ईशब पुत्र चाहत जाति मेव निवासी ग्राम अलापुर तहसील तिजारा जिला अलवर।

—— प्रार्थीगण

**बनाम**

1. दीनदार उर्फ छुटमल
2. छुट्टन

} पुत्रगण कमला उर्फ कमाल खां जाति मेव निवासी ग्राम अलापुर तहसील तिजारा जिला अलवर।

3. रोशन
4. मेहरदीन
5. समसुदीन

} पुत्रगण भागमल जाति मेव निवासी ग्राम अलापुर तहसील तिजारा जिला अलवर।

6. अधिकृत चीफ सेटलमेंट कमिश्नर पुनर्वास एवं राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर, कलेक्ट्रट, बनीपार्क, जयपुर।
7. तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफीसर तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर।
8. वीरेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री इन्दर सिंह जाति अहीर (यादव), मकान नं. 1234, सेक्टर 31, गुड़गांव (हरयाणा)। (आदेशिका दिनांक 07.04.2014 की पालना में अप्रार्थी सं. 8 के रूप में जोड़ा गया)

—— अप्रार्थीगण

उपस्थितः श्री राजेश बैद — अभिभाषक प्रार्थीगण
एकतरफा कार्यवाही — अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5
अनुपस्थितः श्री नरेंद्र सिंह यादव — अप्रार्थीगण सं. 8

## निर्णय

दिनांक 14.01.2026

यह याचिका डी.पी.(सी.एण्डआर.) एक्ट 1954 की धारा 33 के अन्तर्गत न्यायालय चीफ सेटलमेंट कमिश्नर राजस्थान कम राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 04.06.2002, जिसके द्वारा जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 19.04.2000 एवं तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा के सनद आदेश दिनांक 13.01.1983 को निरस्त किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई, जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.09.2006 द्वारा समाप्त कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 18.09.2006 के विरूद्ध

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच में सिविल रिट पिटीशन पेश करने पर उच्च न्यायालय ने प्रकरण इस न्यायालय को मैरिट पर निर्णय करने का निर्देश दिया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.05.2013 की पालना में बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस समाहत अदालत की गई। अभिभाषक प्रार्थी के कथनानुसार याचिका के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि ग्राम अलापुर जट तहसील तिजारा जिला अलवर के खसरा नंबर 190 मिन रकबा 2 बिस्वा, 191 मिन रकबा 1 बिस्वा, 192 मिन रकबा 2 बीघा, 193 मिन रकबा 2 बिस्वा, जिसके हाल बंदोबस्त में नवीन खसरा नंबर 50 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा हुये हैं, का तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा ने कीमतन आवंटन प्रार्थी इसब के पक्ष में कर सनद् पट्टा जारी किये जाने का आदेश दे दिया। उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक पूर्वाधिकारी श्री कमला उर्फ कमाल खां ने एक अपील जिला कलक्टर अलवर के समक्ष पेश की, जिसे जिला कलक्टर अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 17.04.2000 द्वारा निरस्त कर दिया। जिला कलक्टर अलवर एवं तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा के उक्त आदेश दिनांक 13.01.1983 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक पूर्वाधिकारी श्री कमला उर्फ कमाल खां ने एक निगरानी याचिका डी.पी. एक्ट की धारा 24 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 04.06.2002 पारित करते हुए स्वीकार कर लिया तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर को रिमाण्ड किये जाने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 04.06.2002 से व्यथित होकर प्रार्थी ने इस न्यायालय में निगरानी याचिका प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस पेश कर अवगत कराया कि मौजारोही अलापुर जट्ट तहसील तिजारा जिला अलवर के पुराना खसरा नं. 190 तादादी 2 विस्वा, खसरा नं. 191 तादादी 1 बीघा, खसरा नं. 192 तादादी 2 बीघा, खसरा नं. 193 तादादी 2 बिस्वा, खसरा नं. 141 तादादी 8 बिस्वा, खसरा नं. 142 तादादी 2 बिस्वा एवं खसरा नं. 139 तादादी 1.04 बीघा कुल तादादी 4.18 बीघा सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 13.01.1983 को इसब पुत्र चाहत (निगरानीकर्ता) के पक्ष में सनद पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि में से विवादित भूमि खसरा नं. 190, 191, 192 व 193 की भूमि, जिसके बंदोबस्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के दौरान नये खसरा नंबर 50 तादादी 3.04 बीघा बनाये गये है, जिस पर निगरानीकार आज भी काबिज होकर काश्त कर रहा है। इसी प्रकार कमला उर्फ जमाल पुत्र मुराद (जिसके वारिसान रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 है) तथा भागचन्द पुत्र मुराद (जिसके वारिसान रेस्पोडेन्ट नं. 3 से 5 है) तीनो पक्षकारों के आवंटन अधिकारी के समक्ष एक दूसरे के कब्जे एवं आवंटन में सहमति हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है, जिसके आधार पर सभी को सनद जारी (आवंटन) हुए है। तत्पश्चात् कमला पुत्र मुराद ने ईसब के विरूद्ध एक फौजदारी कार्यवाही शपथ पत्र बाबत की जो प्रकरण संख्या 11/91 अनवानी राज्य बनाम जयलम वगैरह न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम वर्ग) तिजारा के समक्ष विचारित हुआ, जिसमें दिनांक 02.11.99 को निगरानीकर्ता एवं अन्य अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया गया। उपरोंक्त समस्त तथ्यों पर अधीनस्थ नयायालय ने गौर नही किया व आदेश जैर अपील दिनांक 04.06.2002 को पारित किया, जिसके विरूद्ध उपरोक्त अनवानी कार्यवाही माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जिसे डी.पी.एक्ट रिपिल होंने के कारण दिनांक 18.09.2006 को बन्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध उच्च न्यायालय जयपुर में रिट प्रस्तुत हुई। इसी दौरान रेस्पो. सं. 1, 2 व 5 ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादगत भूमि में अपने नाम का दुरूपयोग कर वीरेन्द्र पुत्र इन्दर को कुछ भूमि विक्रय कर दी, जिसके आधार पर रिट में क्रेता वीरेन्द्र को पक्षकार सं. 8 बनाया गया, जिसने निगरानीकर्ता का आवंटन दिनांक 13.01.83 को सही होने का व निगरानीकर्ता का कब्जा काश्त होने की सहमति निष्पादित कर दी, सहमति पत्र असल संलग्न है। अतः सहमति के अनुसार निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानी अधीन आदेश दिनांक 04.06.2002 निरस्त फरमाया जाकर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 13.01.1983 को बहाल फरमावे। अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपनी बहस के संदर्भ में आर.आर.टी. 2007(2) पेज संख्या 895 का उल्लेख किया हैं।

3— हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों, लिखित बहस, न्यायिक दृष्टांत एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय चीफ सेटलमेन्ट कमिश्नर राजस्थान एवं राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर ने आदेश दिनांक 04.06.2002 पारित करते हुए तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा जिला अलवर के सनद आदेश दिनांक 13.01.1983 एवं जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 19.04.2000

सहायक आयुक्त
बीकानेर

को खारिज कर दिया। प्रकरण की अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी को तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा जिला अलवर द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.01.1983 द्वारा पट्टा सनद जारी की गई है। तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा जिला अलवर द्वारा जारी उक्त पट्टा सनद अपने क्षेत्राधिकार के भीतर तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर जारी की गई है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रपत्र 3 के संलग्न अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से निष्पादित सहमति पत्र पेश किया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 8 ने पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना व मौजीज़ व्यक्तियों की समझाईस से बहामी तौर पर राजीनामा हो जाना अंकित किया है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पूर्वज कमला उर्फ कमाल खां व भागमल ने जरिये शपथ पत्र अपनी सहमति आवंटन न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा के समक्ष पूर्व में ही दे रखी है, जो पूर्णतया सही एवं सत्य है। उक्त सहमति पत्र व लिखित बहस में अंकित तथ्यों तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा जिला अलवर का पट्टा सनद् आदेश दिनांक 13.01.1983 उचित एवं सही है।

उक्त परिपेक्ष्य में तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा जिला अलवर द्वारा जारी पट्टा सनद आदेश दिनांक 13.01.1983 न्यायोचित होने के कारण अभिभाषक प्रार्थी की याचिका स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय चीफ सेटलमेन्ट कमिश्नर एवं राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के आदेश दिनांक 04.06.2002 को निरस्त किया जाता है।

5— तदनुसार याचिका/निगरानी निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति याचिका/निगरानी पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 14.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर